UPSR010005052025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538

सिविल निगरानी संख्या 04/2025

सूरज लाल आयु 93 वर्ष पुत्र लालता प्रसाद,
निवासी ग्राम बनियनपुरवा, मौजा मनोहरापुर, परगना इकौना, तहसील भिनगा, जनपद श्रावस्ती

–– निगरानीकर्ता/वादी

बनाम

1. श्रीमती जगरानी उम्र 44 वर्ष पत्नी भगवानदास,
निवासी ग्राम बनियनपुरवा, मौजा मनोहरापुर, परगना इकौना, तहसील भिनगा, जनपद श्रावस्ती।
2. भगवानदास उम्र 51 वर्ष पुत्र महावीर,
निवासी मौजा मनोहरापुर, परगना इकौना, तहसील भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

–––विपक्षीगण/प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी अन्तर्गत धारा 115 सी0 पी0 सी0 निगरानीकर्ता सूरज लाल के द्वारा विपक्षीगण श्रीमती जगरानी आदि के विरूद्ध विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), श्रावस्ती द्वारा मूल वाद संख्या 1633/2024 सूरजलाल बनाम जगरानी आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.01.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/वादी के संशोधन प्रार्थनापत्र क–24 को निरस्त किया गया है।

2. सिविल निगरानी को उद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया और दौरान विचारण प्रार्थनापत्र संशोधन क–24 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की दफा–1 के प्रथम लाइन में अंकित शब्द 179 रकबा 0.075 हे0 को काटकर उसके स्थान पर "181" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वादपत्र की दफा–I की लाइन चार में अंकित शब्द वादी अभिलिखित भूमिधर, मालिक कामिल काबिज दखील चला आ रहा है, को काटकर उसके स्थान पर "वादी का आवागमन सुखाधिकर लगभग 40 वर्षो से प्राप्त है" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वाद पत्र की दफा–2 के पहली लाइन में अंकित वादी व शब्द 179 को काटकर शब्द 179 के स्थान पर "181" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वाद

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.08.01 16:30:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्र की दफा–2 के दूसरी लाइन में अंकित शब्द शेष अंश पर वादी द्वारा बाग लगायी गयी है, जिसमें वादी के 12 पेड़ आम 2 पेड़ बांसकोठ आदि लगे हुये है तथा उक्त दफा के तीसरी लाइन व पांचवी लाइन को काटकर उसके स्थान पर "विवादित सम्पत्ति वादी की बाग भूमि गाटा संख्या 179 में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता है। वादी को विवादित भूमि से होकर अनवरत 40 वर्षो से आने जाने कृषि उपकरण ले जाने का सुखाधिकार प्राप्त है।" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वादपत्र की दफा–4 की प्रथम लाइन में अंकित शब्द पूरब को तथा दफा–4 में अंकित शब्द उत्तर व पूरब को काटकर "दक्षिण" लिखने की अनुमति प्रदान करें। उक्त दफा की चौथी व पांचवी लाइन में अंकित शब्द विवादित सम्पत्ति पर जमीन स्तर पर नींव भरी तथा आबादी के रूप में परती पड़ी है, को काटने की अनुमति प्रदान करें। वादपत्र की दफा–5 चौथी लाइन के अन्त में "विवादित सम्पत्ति पर वादी के आवागमन को अवरूद्ध करने की धमकी दे रहे हैं, तथा प्रयास में है।" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वादपत्र की दफा–6 की तीसरी लाइन में शब्द प्रयास न करें के आगे "विवादित सम्पत्ति पर वादी का आवागमन अवरूद्ध न करें।" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वाद पत्र की दफा–9 (अ) के तीसरी लाइन में अंकित शब्द 179 रकबा 0.075 हे0 को काटकर उसके स्थान पर "गाटा सं0 181" लिखने की अनुमति प्रदान करें। वाद पत्र की दफा–9 (अ) की छठवी लाइन में अंकित शब्द करें के बाद तथा शब्द तथा के पूर्व "तथा विवादित सम्पत्ति पर वादी के आवागमन को अवरूद्ध कर वादी के सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न करें" तथा उक्त दफा की पांचवी लाइन में शब्द शान्तिपूर्ण के बाद "आवागमन सुखाधिकार" लिखने की अनुमति प्रदान करें।

3. प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की तरफ से प्रार्थनापत्र क–24 पर आपत्ति ग–27 दाखिल करके यह कथन किया गया है कि वादी एक बहुत चालाक मुकदमें बाज किस्म का व्यक्ति है जिसने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा दिनांकित 12.07.2024 के तथ्यों को अवलोकन करने के उपरान्त उपरोक्त संशोधन प्रार्थनापत्र मात्र मुकदमें को लटकाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। क्योंकि वादी द्वारा वर्ष 2013 में दिनांक 11.09.2013 को इस विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि विवादित भूमि स, द, ल, य वादी के पैतृक रिहायशी मकान का सहन है और उस पर वादी को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी प्राप्त हुआ जो आज भी विचाराधीन है। पुनः वादी ने उसी विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर उसे अ, ब, स, द से दर्शाते हुये गाटा संख्या 179 का जुज अंश बताया और न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिस पर प्रतिवादी ने जबाबदावा व आपत्ति दिनांक 12.07.2024 को प्रस्तुत कर विवादित भूमि को गाटा संख्या 181 व 180 का अंश भूमि बताया और जबाबदावा के साथ कुछ कागजात दाखिल किये तब वादी ने अपने द्वारा स्वीकृत कथन कि विवादित भूमि गाटा संख्या 179 के 0.075 हे0 का जुज अंश के कथन को वापस लेते हुये उसके स्थान पर गाटा संख्या 180 लिखने एवं उक्त भूमि को वादी आने जाने

के लिये रास्ता बताकर सुखाधिकर के तथ्य को वाद पत्र में बढ़ाना चाहता है इससे वादी अपने कथन को वापस ले रहा है तथा गाटा नम्बर परिवर्तित होने से मुकदमें की नवैयत भी बदल रही है। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा गाटा संख्या 180 व 181 को अपना बताकर जवावदावा व आपत्ति प्रस्तुत किया है वादी वर्ष 2013 से प्रतिवादी के आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर स्थगन आदेश दो बार प्राप्त कर चुका है और अब अपने दोनों वादों के कथनों को परित्याग कर नये कथन का संशोधन वादपत्र में करना चाहता है जो विधिक रूप से वर्जित है। ऐसी स्थिति में वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं इसके अतिरिक्त वादी ने जिस वादपत्र के कथनों के आधार पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है उन्हीं कथनों के आधार पर वादी का स्थगन प्रार्थनापत्र निस्तारण किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि उक्त प्रार्थनापत्र में भी विवादित भूमि को गाटा संख्या 179 रकबा 0.075 हे0 का जुज अंश अक्षर अ, ब, स, द से दर्शाकर वादी ने स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर एवं पत्रावली का अवलोकन कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2025 पारित किया जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र क–24 निरस्त किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/वादी की ओर से विभिन्न आधारों पर यह निगरानी योजित की गयी है।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार निगरानी को संदर्भित करते हुये यह कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.01.2025 बिल्कुल गलत अवैध विधि विरूद्ध है। निगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र क–24 प्रस्तुत करके याचना किया कि वादपत्र में उक्त प्रार्थनापत्र के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी जाये लेकिन विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र का बिना विवेचन किये मनमाना पूर्णढंग से दिनांक 22.01.2025 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। निगरानीकर्ता के संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया है कि उपरोक्त संशोधन से दोनों वादों के कथनों को परित्याग कर नये अभिकथन वादपत्र में संशोधन के माध्यम से करना चाहते हैं। निगरानीकर्ता द्वारा मात्र भूलवश गाटा संख्या 179 को विवादित सम्पत्ति की अंश भूमि व सुखाधिकार वाद प्रस्तुत करते समय वादपत्र में वर्णित नहीं कर सका, मात्र उक्त तथ्य के समावेशन हेतु प्रार्थनापत्र संशोधन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र संशोधन से किसी पूर्व अभिकथन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिये प्रश्नगत प्रार्थनापत्र संशोधन अनुज्ञेय होने पर भी विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध ढंग से

दिनांक 22.01.2025 को प्रार्थनापत्र संशोधन निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के विवेचन में यह स्वीकार किया है कि वादी द्वारा संशोधन आवेदन में कहा गया है कि विवादित भूमि वादी की बाग भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता गाटा संख्या 179 है, फिर भी विचारण न्यायालय ने इस आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त करने में कानूनी त्रुटि किया है कि संशोधन प्रार्थनापत्र स्पष्ट नहीं किया गया है तथा रास्ते के आधार पर प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण भूमि पर कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार गलत विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने वादी/निगरानीकर्ता के संशोधन प्रार्थनापत्र क–24 को त्रुटिपूर्ण अभिकथन करते हुये निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.01.2025 नान ओपनिंग आर्डर है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.01.2025 आधारहीन आदेश है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.10.2025 मैलाफाइड है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी हाजा स्वीकार करते हुये अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.01.2025 अपास्त करके प्रार्थनापत्र क–24 स्वीकार करने की याचना की है।

6. निगरानीकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश उचित व विधिक नियमों के अनुकूल पारित नहीं किया गया है न ही आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया है। आदेश दिनांकित 22.01.2025 त्रुटिपूर्ण है। अतः निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

7. विपक्षीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी का मौखिक विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश उचित व विधिक नियमों के अनुकूल पारित किया गया है। आदेश दिनांकित 22.01.2025 त्रुटिपूर्ण नहीं है न ही इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार हो जानें से वादी वाद की प्रकृति को परिवर्तित कर रहा है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की है।

8. मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली तथा आलोच्य आदेश का सम्यक् परिशीलन किया।

9. प्रस्तुत निगरानी में निगरानी न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में शुद्धता, वैधता एवं अनियमितता सम्बंधी त्रुटि पर विचार करना होता है।

10. पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीकर्ता/वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र क–24 का अवलोकन किया गया, जिसमें वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष

प्रश्नगत मामले से सम्बंधित तथ्यों को अभिकथित कर संशोधन के माध्यम से समावेशित करनें की अनुमति चाही गयी है। मेरे द्वारा पक्षकारों के अभिबचनों तथा प्रार्थनापत्र संशोधन क–24 में उल्लिखित तथ्यों तथा विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया गया। उक्त मामले में वादी द्वारा विवादित भूमि गाटा संख्या 179 रकबा 0.075 हे0 का जुज भाग बताते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा गाटा संख्या 179 की खतौनी प्रस्तुत की है लेकिन अब वादी विवादित भूमि को गाटा संख्या 180 व 181 का अंश होना कहते हुये सुखाधिकार के रूप में विवादित सम्पत्ति को अपना होना कह रहा है। वादी ने अपने को वाद पत्र में विवादित सम्पत्ति का स्वामी व काबिज होना कहा गया है। सुखाधिकार के लिये आवश्यक है कि वादी के स्वामित्व की भूमि हो, जिस पर आने जाने के रूप में वादी दूसरी भूमि का प्रयोग करता हो, जिस पर वह सुखाधिकार चाहता है किन्तु वादी द्वारा अपने संशोधन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किस भूमि में आने जाने हेतु विवादित भूमि को सुखाधिकार के रूप में प्रयोग कर रहा था। सुखाधिकार अधिनियम की धारा–4 के प्रावधान से स्पष्ट है कि सुखाधिकार के लिये दो भूमि होना आवश्यक है एक पक्षकार के स्वामित्व की भूमि व दूसरी भूमि जिस पर से वह अपने भूमि पर आने जाने के लिये उपयोग करता है, किन्तु वादी ने अपने संशोधन प्रार्थनापत्र क–24 में कहा गया है कि विवादित भूमि वादी के बाग की भूमि गाटा संख्या 179 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता है जबकि वादी के वादपत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी से स्पष्ट है कि वादी द्वारा रकबा 0.07 हे0 पर सुखाधिकार का अनुतोष चाहा गया है किन्तु जिस भूमि पर वादी आता जाता था, उसे वादी द्वारा अपने संशोधन प्रार्थनापत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार रास्ते के आधार पर द्वितीय पक्ष की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा का दावा नहीं किया जा सकता है। उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से निगरानीकर्ता/वादी वाद की प्रकृति को परिवर्तित कर रहा है इससे निगरानीकर्ता/वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के अनुकूल है। जहॉ तक निगरानीकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का सम्बंध है, इससे वांछित अनुतोष की प्रकृति बदलनें से ''वाद का कारण'' प्रभावित होगा तथा वाद की प्रकृति पूर्णतया बदल जायेगी। निगरानीकर्ता/वादी द्वारा, जो संशोधन प्रार्थनापत्र क–24 प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार न करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा, जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि सम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये इस न्यायालय के सुविचारित मतानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.01.2025

पूर्णतया विधि सम्मत है, इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार यह निगरानी निरस्त किये जानें योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.01.2025 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली सम्बंधित विचारण न्यायालय को अविलम्ब अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस प्रति प्रेषित की जाये। पक्षकार सम्बंधित विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2026 को उपस्थित हों।

दिनांक 01.08.2026

(दिनेश चन्द)
जनपद न्यायाधीश
श्रावस्ती।

आज खुले न्यायालय में यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक 01.08.2026

(दिनेश चन्द)
जनपद न्यायाधीश
श्रावस्ती।